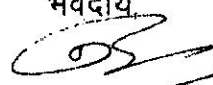


उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या:-1154 / VI(1) / 2018-03(05) / 2015
देहरादून: दिनांक २० अप्रैल, 2018

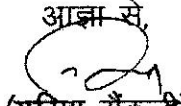
अधिसूचना

विविधि

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2001) की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018" को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या:- (1) / VI(1) / 2018-03(05) / 2015, तददिनांक
प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की, हरिद्वार को उक्त अधिसूचना एवं संलग्न "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018" की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया साधारण गजट में प्रकाशनार्थ अधिसूचना तथा संलग्न नियमावली की 300 मुद्रित प्रतियां तैयार कराकर तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(गरिमा रौकली)
संयुक्त सचिव।

संख्या:- 1154 (2) / VI(1) / 2018-03(05) / 2015, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त नियमावली की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
5. अपर सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।


(गरिमा रौकली)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-857/VI(1)/2018-03(05)/2015
देहरादून: दिनांक 20 अप्रैल, 2018

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2001) की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने एवं स्वरोजगारोन्मुखी योजना को क्रियान्वित करने के लिये दी जाने वाली राजकीय सहायता को नियंत्रित करने तथा इस सहायता के अन्तर्गत प्रारम्भ की जाने वाली परियोजनाओं को संचालित किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018

- संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018" है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- (3) यह नियमावली नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू होगी।
- परिभाषायें 2. जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में —
- (क) "गृह आवास (होम स्टे)" से ऐसी आवासीय इकाई अभिप्रेत है जो पूर्णतः आवासीय परिसर हो तथा जिसमें भवन स्वामी अथवा भवन के पट्टे पर होने की दशा में पट्टेदार स्वयं परिवार सहित निवास करता हो;
- (ख) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ग) "भवन स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय अपने स्वयं के अथवा पट्टे के भवन जो कि (होम स्टे) हेतु प्रस्तावित है, में परिवार सहित निवास करता हो;
- (घ) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
- (ङ) "योजना" से दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना अभिप्रेत है;
- (च) "समिति" से इस नियमावली के नियम 8 के अन्तर्गत गठित चयन/क्रियान्वयन/अनुश्रवण समिति अभिप्रेत है;



(छ) "आवेदक" से ऐसा भवन स्वामी अभिप्रेत है जो अपने भवन के आवासीय कक्षों को पर्यटकों/अतिथियों के लिए उपलब्ध कराने का इच्छुक है एवं इस नियमावली के अन्तर्गत भवन के पंजीकरण हेतु परिषद में आवेदन करता है।

(ज) "पंजीकरण" से उत्तराखण्ड गृह आवास (होम-स्टे) नियमावली, 2015 के अन्तर्गत पंजीकरण किया जाना अभिप्रेत है।

गृह आवास 3.
(होम-स्टे) हेतु
आवश्यक शर्तें

किसी भवन को गृह आवास (होम स्टे) के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि—

(एक) भवन पूर्णतः आवासीय परिसर हो;

(दो) भवन स्वामी अपने परिवार सहित भवन में निवास करता हो;

(तीन) अतिथियों के खान-पान की व्यवस्था भवन स्वामी द्वारा की जाये;

(चार) गृह आवास (होम-स्टे) में अतिथियों के लिए न्यूनतम 1 तथा अधिकतम 6 कक्षों की व्यवस्था की गयी हो;

(छः) गृह आवास (होम-स्टे) का पंजीकरण किया गया हो।

रियायतें/छूट
(Exemptions)

4. (1) गृह आवास (होम-स्टे) से प्राप्त आय पर गृह आवास के रूप में पंजीकरण के पश्चात् प्रथम तीन वर्षों तक राज्य वस्तु एवं सेवा कर की धनराशि की विभाग द्वारा अदायगी/प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(2) विद्युत/जल/भवन कर आदि जैसे शुल्क/कर को सम्बंधित विभागों द्वारा अव्यवसायिक दरों पर वसूल किया जा सकेगा।

(3) गृह आवास (होम-स्टे) स्थापित किये जाने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

राजकीय सहायता 5.
दिये जाने हेतु
पात्रता एवं
प्रोत्साहन व लाभ

गृह आवास (होम-स्टे) स्थापित किये जाने हेतु राजकीय सहायता (अनुदान) भी दी जायेगी, जिसके लिये निम्न प्रकार से नियम/शर्तों का निर्धारण किया जायेगा:—

(1) निधि का सृजन:—पर्यटन विभाग के आय-व्ययक में प्रत्येक वर्ष इस योजना हेतु एकमुश्त धनराशि का प्राविधान किया जायेगा जिसका उपयोग चयन समिति द्वारा राज्य में होम स्टे विकसित करने के लिये अनुमोदित किया गया हो। राजकीय सहायता की धनराशि निदेशक पर्यटन/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् देहरादून की अधिकारिता में रखी जायेगी।

(2) पात्रता:— इस योजना के अधीन राजकीय सहायता (अनुदान) निम्नलिखित पात्रता रखने वाले व्यक्ति को स्वीकृत की जायेगी:—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को जो, उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवासी है;



- (ख) भवन स्वामी स्वयं परिवार सहित प्रस्तावित होम-स्टे में निवास करता हो;
- (ग) ऐसा व्यक्ति गृह आवास (होम स्टे) के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का स्वामी हो;
- (घ) व्यक्ति किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न हो;
- (ङ.) रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से समय-समय पर शासन द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगों आदि को दिये जाने वाले आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा;
- (च) राजकीय प्रोत्साहन राशि एवं लाभ प्राप्त करने हेतु नये गृह आवास (होम-स्टे) विकसित करने के अतिरिक्त पुराने भवनों की आन्तरिक साज-सज्जा, उनका विस्तार/नवीनीकरण/सुधार एवं शौचालयों के नवनिर्माण या उच्चीकरण आदि के लिये भी योजना का लाभ अनुमन्य होगा। पारम्परिक/पहाड़ी शैली में निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

राजकीय सहायता की धनराशि 6.

राजकीय सहायता की धनराशि मूल सब्सिडी (capital subsidy) एवं ब्याज पर सब्सिडी (interest subsidy) का संयोजन होंगी। इसमें पूंजी संकर्म की लागत के 25 प्रतिशत या ₹0 7.50 लाख, इसमें जो भी कम हो, मूल सब्सिडी के रूप में एवं प्रथम पांच वर्षों में ऋण के सापेक्ष देय ब्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹0 1.00 लाख प्रतिवर्ष की दर से देय होगी, परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु पूंजी संकर्म की लागत के 33 प्रतिशत या ₹0 10.00 लाख, इसमें जो भी कम हो, मूल सब्सिडी के रूप में एवं प्रथम पांच वर्षों में ऋण के सापेक्ष देय ब्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹0 1.50 लाख प्रतिवर्ष की दर से देय होगी। पर्वतीय क्षेत्रों के निर्धारण हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015" के अन्तर्गत श्रेणी-ए, बी, बी+ एवं सी को इस योजना हेतु पर्वतीय क्षेत्र एवं श्रेणी-डी को मैदानी क्षेत्र माना जायेगा।

राजकीय सहायता दी जाने की अन्य शर्तें 7.

- (1) राजकीय सहायता की मूल सब्सिडी का भुगतान उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा एक मुश्त राशि के रूप में तथा ब्याज सब्सिडी का भुगतान वार्षिक आधार पर योजना पूर्ण होने पर सम्बन्धित बैंक शाखा, जहां से आवेदक द्वारा ऋण लिया गया है, को यथासम्भव एक माह के भीतर सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित शाखा बैंक प्रबन्धक अथवा उनका प्रतिनिधि, जिनके द्वारा आवेदक को ऋण निर्गत किया गया है के संयुक्त निरीक्षण एवं परियोजना पूर्ण होने की पुष्टि के उपरान्त किया जायेगा।
- (2) पूंजी संकर्म के अन्तर्गत केवल अनावर्तक प्रकार के व्यय की मदें होगी। राजकीय सहायता की प्राप्ति के 10 वर्ष के भीतर, इस प्रकार सृजित

आस्तियों का न तो निस्तारण किया जायेगा और न ही उसका उपयोग उस प्रयोजन से जिसके लिये राजकीय सहायता दी गयी है से, भिन्न किसी योजना के लिये किया जायेगा। इस प्रकार निर्मित भवन या भवन की वर्तमान संरचना में किये गये विस्तार, जिस पर राजकीय सहायता प्रदान की गयी है, के सम्बन्ध में निजी उद्यमकर्ता, गठित समिति द्वारा नियत किराये पर पर्यटकों को ऐसे भवनों में, सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये बाध्य होगा।

(3) सम्बन्धित बैंक की शाखा द्वारा बैंक की प्रतिभूति आदि के सम्बन्ध में पूंजी निवेश सम्बन्धी बैंक द्वारा ली जाने वाली मार्जिन मनी, 12.5 प्रतिशत ली जायेगी। इसके अतिरिक्त समिति बैंक की शाखा की प्रतिभूति आदि के सम्बन्ध में सामान्य उपबन्धों के अधीन की गयी सिफारिश पर ऋण देने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी। बैंक की विनिश्चय की सूचना सामान्यतः आवेदक को सिफारिश किये गये आवेदन पत्र की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर दे दी जायेगी और उसकी सूचना क्षेत्रीय/जिला पर्यटक अधिकारी को भी भेज दी जायेगी।

(4) इस योजना के क्रियान्वयन का मामला जिलाधिकारी और बैंकों के बीच मासिक बैठक में कार्य सूची/परिचर्चा की एक मद होगा, जिसमें विलम्ब के कारणों के साथ-साथ विचाराधीन मामलों पर और उनकी समस्याओं के निराकरण करने के लिये विचार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में त्रैमासिक विवरणी जिले के प्रमुख (लीड) बैंक अधिकारी द्वारा सम्बद्ध जिलाधिकारी और क्षेत्रीय/जिला पर्यटक अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

चयन समिति की 8. संरचना

उद्यमियों के चयन एवं योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिले में एक चयन/क्रियान्वयन/अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी:-

(एक) जिलाधिकारी	—	अध्यक्ष
(दो) मुख्य विकास अधिकारी	—	सदस्य
(तीन) महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	—	सदस्य
(चार) जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक	—	सदस्य
(पांच) नाबार्ड का प्रतिनिधि	—	सदस्य
(छः) जिला पर्यटन विकास अधिकारी	—	सदस्य सचिव

यह समिति जिले में आवेदकों के चयन, लाभार्थियों को नियमित वित्त पोषण, योजना की भौतिक प्रगति का क्रियान्वयन व अनुश्रवण एवं लाभार्थियों को वांछित विभिन्न सरकारी स्वीकृतियों आदि के विषय में कार्यवाही करेगी। उपरोक्त गठित समिति के कृत्यों का पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी का होगा। यह



समिति योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति के सम्बंध में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् मुख्यालय को अवगत करायेगी। जिन प्रकरणों पर समिति निर्णय लेने में असमर्थ रहती है उन्हें उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्/शासन को संदर्भित करेगी। जिलाधिकारी द्वारा इस समिति में अन्य विभागों के अधिकारियों अथवा आवेदकों एवं विशेषज्ञों को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकता है। क्षेत्रविशेष की परिस्थितियों तथा आवेदनकर्ताओं की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये वन विभाग, नक्शा पास करने वाले प्राधिकारी, नगरपालिका आदि के प्रतिनिधियों को भी बैठक हेतु विशेष आमंत्रि के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है।

चयन प्रक्रिया

9. लाभार्थियों का चयन व्यापक प्रचार-प्रसार के उपरान्त, पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित प्ररूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात होगा। जांचोपरान्त उपयुक्त पाये गये आवेदकों के आवेदन पत्रों के आधार पर, चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन पत्र पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से या विभागीय वेब-साईट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकेगा, जिसे भरने के पश्चात् भवन स्वामी सम्बन्धित जिले के क्षेत्रीय/जिला पर्यटन कार्यालय में जमा करेगा।

समिति के कृत्य:-

10. (1) चयन समिति, प्रत्येक योजना का परीक्षण करेगी और साधारण बहुमत से राजकीय सहायता को स्वीकृत करेगी एवं उसकी की सूचना सम्बद्ध बैंकों को देगी। पर्यटन समिति के सदस्य/सचिव द्वारा विनिश्चय की सूचना सम्बन्धित उद्यमी को दी जायेगी।
- (2) समिति के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर, योजना की सार्थकता एवं उपादेयता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छःमाही आधार पर प्रत्येक लाभार्थी/उद्यमी की परियोजना का भौतिक सत्यापन, जिसमें वाणिज्यिक सफलता का मूल्यांकन भी सम्मिलित है, किया जायेगा तथा दुरुपयोग/दुर्विनियोग की दशा में विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

योजना
कार्यान्वयन
नोडल विभाग

के
हेतु

11. इस नियमावली के अधीन बनायी गयी प्रत्येक योजना पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा संचालित की जायेगी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, देहरादून द्वारा योजना हेतु विभिन्न वाणिज्यिक संस्थाओं, मण्डलीय नियमों, प्रशिक्षणदात्री संस्थाओं के मध्य नोडल एजेन्सी के रूप में आवश्यक समन्वय किया जायेगा, साथ ही योजना की गुणवत्ता, उपादेयता, परिचालन, परिपुष्टता एवं आवश्यक अनुश्रवणात्मक व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जायेगी। उद्यमी की योजना हेतु अन्य किसी विभाग यथा वन, पर्यावरण, ऊर्जा आदि से किसी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर उसको उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

- गृह आवास (होम-स्टे) का समूह (Cluster) के रूप में विकास
12. (1) किसी भी गांव में 6 या उससे अधिक गृह आवास (होम-स्टे) स्थापित किये जाने पर उन्हें समूह (Cluster) माना जायेगा। ऐसे समूह (Cluster) के चयन की कार्यवाही जिलाधिकारी के माध्यम से की जायेगी। सर्वप्रथम जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों के आस-पास ही समूह(Cluster) चिन्हित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।
- (2) समूह (Cluster) में जो गृह आवास (होम-स्टे) विकसित होंगे उन ग्रामों में गृह आवास (होम-स्टे) पर्यटन हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधा कार्य भी कराये जायेंगे।
- फैसेलिटेशन एवं मार्केटिंग
13. (1) विभाग द्वारा पंजीकृत गृह आवास (होम-स्टे) के लिये पृथक से पोर्टल/वेब-साईट तथा एप विकसित किया जायेगा, जिसमें गृह आवास (होम-स्टे) से सम्बन्धित समस्त जानकारीयां विद्यमान होंगी।
- (2) ऑन-लाईन एवं ऑफलाईन व्यवसायिक मार्केटिंग की सुविधा भी निःशुल्क गृह आवास (होम-स्टे) मालिकों को प्रदान की जायेगी।
- (3) गृह आवास (होम-स्टे) के फैंडरेशन बनवाकर उनके प्रतिनिधियों द्वारा होम-स्टे के प्रचार-प्रसार हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा जिन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेवल मार्ट्स में प्रतिभाग किया जाता है, में निःशुल्क प्रतिभाग किये जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा।
- (4) पर्यटकों की सुविधा हेतु गृह आवास (होम-स्टे) के सम्बंध में की रेटिंग की व्यवस्था होगी, जिससे किसी गृह आवास (होम-स्टे) के विषय में पर्यटकों को उसके स्तर की जानकारी के साथ-साथ गृह आवास (होम-स्टे) मालिकों के मध्य भी प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी।
- (5) गृह आवास (होम-स्टे) संचालकों को समय-समय पर आतिथ्य सत्कार गतिविधियों के संचालनार्थ प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था होगी। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अन्य विभागों के स्तर से प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण के साथ विकसित की जायेगी।
- ऋण का भुगतान
14. प्रमुख बैंक/वित्तीय संस्था, राजकीय सहायता का अनुमोदन किये जाने सम्बन्धी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का आदेश प्राप्त होने पर, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार ऋण देंगे जैसा बैंक द्वारा निर्धारित किया जायें।
- बैंक ऋण की अदायगी
15. (1) उद्यमी को दिये गये ऋण की अदायगी/अधिस्थगन अवधि या प्रारम्भिक अवधि का निर्धारण सम्बन्धित बैंक द्वारा किया जायेगा।
- (2) ऋण के दुरुपयोग अथवा वापसी की अवधि की आधी अवधि से पूर्व ऋण की वापसी पर ब्याज उपादान अनुमन्य नहीं होगा तथा इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति की जा सकेगी, इसके अतिरिक्त ऋण वसूली के लिये "उत्तर प्रदेश पब्लिक मनी (रिकवरी ऑफ ड्यूज) एक्ट,

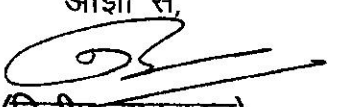
1965" (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

लेखा परीक्षा

16. इस नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि निदेशक पर्यटन/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के स्तर से संबंधित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। नियमावली के अंतर्गत किसी योजना की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा की जायेगी। राजकीय सहायता के भुगतान की स्वीकृति के समस्त आदेशों की एक प्रति महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग, पर्यटन अनुभाग और वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग को पृष्ठांकित की जायेगी।

प्रकीर्ण

17. (1) पर्यटन निदेशालय व उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के समस्त अधिकारी/कर्मचारी, जैसा कि अपेक्षित हो, सहयोग प्रदान करेंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् इस नियमावली के अंतर्गत किसी योजना के निष्पादन/क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगा।
- (2) इस नियमावली के अंतर्गत किसी योजना के क्रियान्वयन में यदि कोई स्पष्टीकरण या सूचना अपेक्षित हो तो पर्यटन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, का विनिश्चय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

“दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना” के अन्तर्गत ऋण/राज सहायता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

.....
.....
.....

स्वप्रमाणित

आवेदक का फोटो

महोदय,

मैं/हम.....पुत्रश्री.....निवासी.....

तहसील.....डाकघर.....जिला..... उत्तराखण्ड में (जो कि नगर निगम क्षेत्र की सीमा से बाहर है) “दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना” के अन्तर्गत होम-स्टे निर्माण/ विकसित करने हेतु रु0.....शब्दों में..... धनराशि स्वीकृति हेतु निवेदन करता हूँ/करते हैं तथा इस संदर्भ में वांछित आवश्यक सूचना निम्न प्रकार से आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है:-

1-आवेदक का नाम

2-आयु(जन्मतिथि सहित)

3-योजना क्रियान्वयन का स्थल व पता.....

4-योजना ग्रामीण क्षेत्र में प्रस्तावित है या शहरी क्षेत्र में

5--क्या आवेदक अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति का सदस्य है,
(यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा
प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें) ।

6- क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है, ...

(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

7-योजना के लिये भवन/भूमि उपलब्धता का विवरण:-

(क)भूमि का क्षेत्रफल

(ख)भूमि/भवन के स्वामित्व का प्रमाण

पत्र जो स्थानीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो ।

8-योजना का नक्शा

9-योजना का आगणन

(क)योजना की अनुमानित लागत.....

(ख)आवेदक का अंशदान

(ग)वांछित ऋण राशि

10-योजना हेतु कुल अनुमानित धनराशि

की आवश्यकता है ।

11-बैंक व शाखा का नाम जहाँ से ऋण

लिया जाना प्रस्तावित है ।

12-अन्य विवरण यदि कोई हों तो पुष्टि

के आधार पर इंगित किया जाय ।

घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना नियमावली 2018 हेतु गठित समस्त नियम एवं निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम उक्त सभी नियमों एवं निर्देशों का पालन करूँगा/करेंगे । उपरोक्त दी गयी समस्त सूचना वास्तव में मेरे/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही हैं । मैं/हम इस बात के लिये पूर्ण रूप से सचेत हूँ/हैं कि किसी भी दशा में उक्त वर्णित सूचना गलत तथ्यों के आधार पर पायी जाती है तो "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना" के अन्तर्गत होम-स्टे निर्माण/ विकसित करने हेतु स्वीकृत समस्त धनराशि उपादान की राशि सहित की वसूली मुझसे कर ली जाय । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(आवेदक के हस्ताक्षर/नाम)

विशेष ध्यानाकर्षण:-

आवेदक आवेदन पत्र को दो प्रतियों में भरकर निम्नलिखित संलग्न को (सत्यापित प्रतिलिपि) सहित सम्बन्धित जनपद के पर्यटन कार्यालय अथवा पर्यटन स्वागत केन्द्र में जमा कराये:-

- 1- जन्मतिथि /आयु प्रमाण पत्र
- 2- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- 3- अनु०जाति/अनु०जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र(यदि लागू हो) ।
- 4- उत्तराखण्ड के मूल/स्थायी निवास होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।
- 5- भूमि/भवन सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।